

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 238/2022

वादी

1. हरीराम गोदारा पुत्र कानाराम गोदारा जाति जाट निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कानाराम पुत्र रुघाराम
2. रामनिवास पुत्र कानाराम
3. सहदेव गोदारा पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल जिला नागौर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादी संख्या 1 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका, एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी

1. वादी संख्या 1 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नम्बर 1449 रकबा 5.7061 हैक्टेयर में से रकबा 3.1133 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.0809 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 2151/1360 रकबा 0.0405 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1357 रकबा 3.4317 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 2155/1357 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गै.मु. आवासिय प्रयोजनार्थ पूरा व खसरा नम्बर 1230 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा पूरा यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.8175 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1506 रकबा 0.9955 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1449 रकबा 5.7061 हैक्टेयर में से रकबा 1.3004 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 सहदेव गोदारा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नम्बर 169 रकबा 0.8498 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 170 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 1449 रकबा 5.7061 हैक्टेयर में से रकबा 1.2924 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

डिक्री
सहायक कलक्टर
(एम.डी.ओ.) जायल